न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-464RAAJodhpur2022-172 RTA223

1. अजीम खॉ पुत्र गुलण खॉ
2. पीरे खॉ पुत्र गुलण खॉ

दोनो जातियान् मुसलमान,
निवासीगण- ग्राम रोला, तहसील बाप,
जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

राजस्थान सरकार
जरिये तहसीलदार बाप, तहसील बाप,
जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2018 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप राजस्व मूल वाद संख्या 42/2018 अजीम खां व अन्य बनाम तहसीलदार बाप

उपस्थित-
श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 17 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 42/2018 अजीम खां व अन्य बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 अक्टूबर 2022 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट्स द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 254 रकबा 377 बीघा 19 बिस्वा ग्राम रोला के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जो विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 30 मई 2018 को खारिज कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प बारू में दिनांक 30.05.2018 को रखने बाबत तथा लोक अदालत केम्प न्यायालय हाजा में रखने बाबत कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं वाद को खारिज कर दिया अर्थात अपीलाधीन निर्णय वादी को बिना सुने एकतरफा पारित किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किसी भी नियमित वाद में एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत वाद की कार्यवाही किये जाने का आज्ञापक प्रावधान है। एक नियमित वाद को दर्ज रजिस्टर होने के उपरांत सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के नियम 18 से 21 के तहत प्रतिवादी को नोटिस जारी होने के उपरांत आवश्यकता होने पर जवाब आने के बाद तनकियात कायम की जाकर दोनो पक्षों की साक्ष्य लेकर बहस सुनकर तनकीवार विवेचन एवं विश्लेषण सहित निष्कर्ष अंकित करते हुए गुणावगुण पर निस्तारण करने के कानूनी प्रावधान है, चाहे वाद राज्य सरकार के विरूद्ध ही क्यों न हो। मगर विचारण न्यायालय द्वारा आलौच्य मामले में एक नियमित वाद की कानूनी प्रक्रियाओं को बिना अपनाये निर्णय पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं से स्पष्ट है कि प्रतिवादी-रेस्पो. का नोटिस तामील नहीं हुआ तथा पत्रावली तामील में चल रही थी, जिसके जवाब की प्रति वादी को प्राप्त नहीं हुई थी। विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय में लिखा है कि तहसीलदार बाप से जवाब प्राप्त हुआ है। इस संबंध में वादी को कोई जानकारी नही थी। अगर जवाब प्राप्त हुआ था भी तो पत्रावली तनकीयात में जानी चाहिए थी, जबकि विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वाद को सरसरी दृष्टि से धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग बताते हुए खारिज करने में भयंकर कानूनी भूल की है। धारा 151 सीपीसी में किसी नियमित वाद को इस स्तर पर किसी भी सूरत में खारिज नहीं किया जा सकता। धारा 151 सीपीसी में Inherent power of courts बताया गया है, जिसका तात्पर्य यह नहीं है कि विचारण न्यायालय वादी के नियमित वाद को उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये खारिज दिया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा इस वाद पत्रावली में धारा 151 सीपीसी का गलत रूप सें प्रयोग करते हुए वादी के दावे को खारिज कर दिया गया। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री वैधानिक दृष्टि से बिल्कुल ही उचित नहीं है एवं निरस्त किये जाने योग्य है। वादी का वाद केवल एडवर्स पजेशन पर नहीं था तथा एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वाद लाना कानूनन बाधित नहीं है। वादी के वाद को गुणावगुण पर तय किया जाना था। वादी ने विचारण न्यायालय की वाद पत्रावली में वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 254 के संबंध में खसरा परिवर्तनशील की नकले पेश की थी, जिससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी पर काश्त की जा रही है अर्थात उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि न होकर काबिल काश्त भूमि है तथा कानूनन ऐसी भूमि पर काबिज व्यक्ति को खातेदार काश्तकार घोषित किया जा सकता है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद को खारिज कर आज दिनांक तक डिक्री पर्चा नहीं बनाया है। यह भी विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की भयंकर कानूनी भूल है। कानूनन एक नियमित वाद को अगर संपूर्ण रूप से खारिज किया जाता है अथवा स्वीकार किया जाता है तो उसमे डिक्री पर्चा बनाने के आज्ञापक प्रावधान है। विचारण न्यायालय द्वारा डिक्री पर्चा बनाये बिना संपूर्ण वाद को खारिज कर दिया गया, इस कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश की जा रही है, जिसमें निर्णय के ऑपरेटिव भाग को डिक्री पर्चा माना जावे। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि पत्रावली तहसीलदार बाप के तामील में विचाराधीन चल रही थी। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली को कैम्प कोर्ट बारू में रखना बताया, जिसका नोटिस अपीलांट को नही दिया गया तथा उसी दिन पत्रावली को बारू में नही रखकर केम्प कोर्ट न्यायालय में रखकर धारा 151 सीपीसी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादी को बिना सुने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी कर दी। वादी/अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा वादी को कहा गया कि जब आवश्यकता होगी आपको बुला लिया जायेगा। हाल ही में हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 12.10.2022 को कहा कि आपको आपके काश्त की भूमि से बेदखल करेंगे, क्योंकि यह सरकारी भूमि है। तब अपीलार्थीगण ने अपने अधिवक्ता सम्पर्क कर दिनांक 13.10.2022 को पत्रावली की आदेशिकाओ की नकले लेने पर आलौच्य आदेश की जानकारी हुई। तब अपीलार्थी ने प्रथम जानकारी से अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने 2023(2) डीएनजे (रेवे.) 1019 उद्धरित कर निवेदन किया कि मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 42/2018 अजीम खां व अन्य बनाम तहसीलदार बाप में पारित निर्णय दिनांक 30 मई 2018 को खारिज फरमाया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में राज्य सरकार के नाम से दर्ज है। अपीलांट्स को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर कानूनन खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। अपीलांट्स द्वारा वाद प्रस्तुति के समय तहसीलदार बाप को 80-सी का नोटिस भी नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का प्रश्न है, न्यायहित में मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांट कथनानुसार एवं उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज किये जाने के पश्चात डिक्री पर्चा जारी नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में निर्णय के अंतिम पद को डिक्री पर्चा शुमार किया जाता है।

प्रकरण के गुणावगुण बाबत उपलब्ध अभिलेख एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन करने से प्रकट होता है कि अपीलाण्ट्स की ओर से मामले में ऐसा कोई ठोस अभिकथन अथवा आधार प्रकट नहीं किया गया है जिससे वादग्रस्त भूमि बाबत उसके द्वारा प्रस्तुत घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा के दावे में कोई सार नजर आता हो। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से जबाब भी पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

हुआ है। अदालत हाजा की राय में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करने का समुचित एवं विधिसम्मतः आधार नजर नहीं आता है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30 मई 2018 यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर